

गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा : वर्तमान समय में प्रासंगिकता

सारांश

गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यों की अहिंसक साधनों से प्राप्ति का साधन है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका में अन्याय एवं भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में किया गांधीजी ने सरकार की रंगभेद नीति के विरुद्ध अश्वेतों तथा भारतीयों में चेतना जागृत करने के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया।

गांधीजी ने अद्वितीय और अनुकरणीय अहिंसक सत्याग्रह का अस्त्र मानव-विश्व को प्रदान किया जो दक्षिणी अफ्रीका में जाकर विकसित हुआ अतः सार रूप में हम यह मानते हैं कि गांधीजी का दक्षिणी अफ्रीका का अनुभव व उनके अहिंसा के सिद्धान्त और सत्याग्रह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में भील के पत्थर सिद्ध हुए हैं।

मुख्य शब्द : सत्य, अहिंसा, बुराई, अन्याय और स्वतंत्रता।

प्रस्तावना

सत्याग्रह के संदर्भ में “बापू” का यह पूर्ण विश्वास का आधारभूत तत्व है। “हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं।” इस कथन में बुरे कार्य को त्यागना बताया गया है, व्यक्ति को नहीं। वस्तुतः व्यक्ति के आचरण में, दृष्टिकोण निर्माण में, कितनी ही परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। गांधीजी ने इसी मान्यता के आधार पर अंग्रेजी शासन की बुराईयों का पूर्ण शक्ति से विरोध किया, व्यक्तिगत रूप में अंग्रेजों के प्रति घृणा का समर्थन नहीं।

गांधीजी का सत्याग्रह दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य के पुजारी का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह सत्य की कसौटी तथा उसके अधिकारों की रक्षा करे। सत्याग्रह गांधीजी के अनुसार प्रेम, विश्वास एवं त्याग का द्योतक है जिसमें क्रोध, असत्य तथा घृणा के लिये कोई स्थान नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें पशुबल का विरोध आत्मबल से करना होता है।

अध्ययन के उद्देश्य

गांधीजी द्वारा किये गये सत्याग्रह के प्रयोग के आधार पर ही हम अपनी समस्याओं को चाहे वह स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हो को सुलझाने में सफल हो सकते हैं सत्याग्रह का अनुयायी सत्याग्रही अहिंसा का पालन करते हुये शांति व प्रेम का लक्ष्य सामने रखकर सत्य की खोज द्वारा किसी बुराई की वास्तविक प्रकृति को देखने की सही अन्तःदृष्टि प्राप्त कर लेता है।

गांधी जी और सत्याग्रह

सत्याग्रह गांधीवाद में महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व को गांधीजी की अद्वितीय, अनूठी तथा अपूर्व देने हैं। गांधीजी ने इस अवधारणा के द्वारा सत्य, अहिंसा तथा आध्यात्म के विचारों को व्यवहारिक राजनीति में प्रयुक्त करने का विचार किया।

सत्याग्रह सत्य+आग्रह अर्थात् सत्य पर (द्वारा) किया गया आग्रह सबसे पहले 1906 ई. में गांधीजी के अर्थ में किया, जिसका नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका की अन्याय एवं भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में उन्होंने स्वयं किया था।

उन्होंने वहां की सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध अश्वेतों तथा भारतीयों में चेतना जागृत करने के लिये सत्याग्रह का सहारा लिया। वहां गांधीजी द्वारा संचालित इस आंदोलन को “निष्क्रिय प्रतिरोध (पेसिव रेजिस्टेन्स) के नाम से पुकारा जाता था। स्वयं गांधीजी को भी यह नामकरण पसंद नहीं था और भारतीयों को यह नाम समझ में नहीं आ रहा था। अतः उन्होंने अपने पत्र “इंडियन ओपिनियन” में यह प्रचारित किया कि इसके लिये उपयुक्त नाम सुझाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जायेगा। इस पर गांधीजी को अनेक सुझाव प्राप्त हुए। उनमें से मगनलाल गांधी द्वारा सुझाया गया सत्याग्रह शब्द भी था, जिसका अर्थ था ‘अच्छे काम में निष्ठा’। महात्मा गांधी ने बाद में अपने



विमला कुमारी

शोध-छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

आंदोलन के लिये सत्याग्रह शब्द को उपयुक्त पाया। महात्मा गांधी के अनुसार इसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति सत्य पर दृढ़ रहते हुए अत्याचार और अन्याय का अहिंसात्मक साधनों से विरोध करता है। यह सत्य के लिये आग्रह या संघर्ष है।

गांधीजी के मत में सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यों की अहिंसक साधनों से प्राप्ति का अविरल अध्यवसाय है। इस प्रकार सत्य का मर्म क्रियात्मक शक्तियों के प्रति निष्ठा में निहित है। गांधीजी का कथन है कि “सत्य और अहिंसा वह तना है, जिस पर सत्याग्रह की असंख्य शाखाएं पुष्टि एवं पल्लवित होती हैं।”

गांधीजी के अनुसार – “सत्याग्रह एक ऐसा सिक्का है जिसके एक ओर प्रेम तथा दूसरी ओर सत्य अंकित है।”

सत्याग्रह में भौतिक शक्ति के प्रयोग या हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। वह न ही उसके विनाश की कामना करता है। सत्याग्रह वस्तुतः विरोधी को प्रेम की शक्ति से जीतने का सुनिश्चित विज्ञान है।

गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह एक पवित्र अधिकार भी है और पवित्र कर्तव्य भी। सरकार यदि अन्यायी हो जाये तो उसके विरुद्ध भी सत्याग्रह हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है।

सत्याग्रही की यह खूबी है कि आदमी को इसकी कहीं बाहर जाकर खोज नहीं करनी पड़ती; वह उसके सामने आकर खुद खड़ा हो जाता है। स्वयं सत्याग्रह के सिद्धान्त में ही यह गुण अन्तर्निहित है।

धर्मयुद्ध जिसमें न कोई बातें गोपनीय रखने की होती है और न ही धूरता तथा असत्य के लिये कोई स्थान होता है, बिना खोजे प्रकट हो जाता है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति उसके लिये सदा तत्पर रहता है।

जिस संघर्ष की पहले से बकायदा योजना तैयार करनी पड़े, वह धर्मसम्मत संघर्ष नहीं माना जा सकता। धर्मसम्मत संघर्ष में तो ईश्वर स्वयं अभियानों की योजना बनाता है और लड़ाइयों का संचालन करता है।

धर्मयुद्ध केवल ईश्वर के नाम से लड़ा जा सकता है, सत्याग्रही जब स्वयं को बिलकुल लाचार अनुभव करता है, टूटने की स्थिति में होता है और उसे चारों और पूर्ण अहंकार दिखाई देता है, तब ईश्वर उसकी मदद के लिए आ पहुंचता है।


सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए गांधीजी कहते हैं कि “यह शस्त्र बल से उल्टा है। मिसाल के लिये मान

लिजिये कि सरकार ने एक कानून बनाया, जो मुझ पर लागू होना है। यह मुझे पसंद नहीं है। अतः मैं सरकार पर हमला करके उसे यह कानून रद्द करने पर मजबूर करूं तो मैंने शरीर के बल से काम लिया। पर मैं उस कानून को मंजूर ही नहीं करूं, उसे न मानने की जो सजा मिले, उस खुशी से भुगत लूं तो मैंने आत्मबल से काम लिया अथवा सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में अपनी बलि देनी होती है।” वे आगे लिखते हैं कि “अपने विरोधियों को दुखी बनाने की अपेक्षा स्वयं अपने शरीर पर दुख डालकर सत्य पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।” इस तरह से सत्याग्रह एक व्यापक अवधारणा या दृष्टिकोण है।

महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह को न केवल व्यवहारिक प्रयोग में साकार किया, बल्कि उसे जनाभिमुख भी बनाया। सत्याग्रह के विविध स्वरूपों से जुड़े उनके प्रयोगों की लोकप्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक युगान्तकारी अध्याय का सृजन करते हुए उसे जनआन्दोलन के दौर में पहुंचाया। सत्याग्रह को दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता संघर्ष में आम आदमी से जुड़े व्यापक फलक पर सफलतापूर्वक स्थापित करने के बावजूद गांधी सत्याग्रह के प्रयोग के प्रति सजगता एवं सावधानी के कायल थे। वह न केवल अंतिम संभव हथियार के रूप में इसका प्रयोग करने के हिमायती थे और यह चाहते थे कि सत्याग्रह के प्रयोग से पूर्व सभी संभव विधिसम्मत रास्ते अपना लिए जायें, बल्कि वह चाहते थे कि सत्याग्रह का अस्त्र प्रयोग करने से पूर्व उचित जनमत भी निर्मित कर लिया जाये। सत्याग्रही को सबसे पहले उस बुराई या अन्याय के विरुद्ध जनमत बनाना चाहिए जिसके विरुद्ध वह सत्याग्रह करना चाहता है। जब उस सामाजिक बुराई के विरुद्ध वह प्रभावी जनमत बनाले, तभी उसे सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रबुद्ध जनमत का पक्ष में होना सत्याग्रही का सबसे प्रभावी अस्त्र होता है। सत्याग्रही अपने विरोधी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह या तो तर्कों द्वारा या तथ्यों की विनम्र प्रस्तुति के द्वारा उसके विवेक को जागृत करने का प्रयास करता है। अतः सत्याग्रह में सत्याग्रही का कल्याण निहित है और उस व्यक्ति का भी कल्याण जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जारहा है।

सत्याग्रह के स्वरूप

महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से जिस तरह के आंदोलनात्मक प्रयोग भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में किये उसके कई स्वरूप थे –



सत्याग्रह के साधन

गांधीजी ने सत्याग्रह के अनेक रूपों को स्वीकार किया। इन रूपों में गांधीजी ने निम्न को प्रमुख माना –
असहयोग

प्रतिपक्षी द्वारा अपना निजी या सार्वजनिक सहयोग हटा लेना ही असहयोग है।

बहिष्कार

अवांछनीय शासन, सरकारी सेवाओं, वस्तुओं आदि प्रयोग का बहिष्कार करना असहयोग का एक साधन है।

धरना

धरना असहयोग किसी व्यवस्था, सरकार या व्यक्ति के विरोध में लगाया जाता है। जिसका उद्देश्य अनैतिक व्यापार तथा अनुचित सरकारी आदेश को रोकना हो सकता है।

हड्डताल

काम बंद करने को साधारणतः हड्डताल कहते हैं। गांधीजी के अनुसार हड्डताल पूर्णतः स्वेच्छापूर्ण वातावरण में होनी चाहिये और वह पूर्णतः अहिंसात्मक होनी चाहिए।

सविनय अवज्ञा

सविनय अवज्ञा का अर्थ है – अन्यायपूर्ण कृत्य या कानून को आदरपूर्वक न मानना होता है। गांधीजी के अनुसार सविनय अवज्ञा विपक्षी के प्रति हृदय से आदर रखते हुए संयम से की जानी चाहिए।

हिजरत

गांधीजी का विचार था कि उन लोगों को जो अहिंसापूर्ण ढंग से अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

उपवास

उपवास को गांधीजी ने आत्मशुद्धि का उपाय माना। उपवास को सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन

मानते हुए गांधीजी ने इसके दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी।

गांधीजी ने स्वीकार किया कि सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने कहा कि सत्याग्रह में असफलता की कोई आशंका नहीं होती। उनके शब्दों में “सत्याग्रही के शब्दकोश में असफलता का शब्द नहीं होता।” सत्याग्रह एक जीवन्त शक्ति है। यह पशुबल की विजय है। यह बुराई को भलाई से, घृणा को प्रेम से और अत्याचार को कष्टों के प्रति अक्षुण्य सहिष्णुता से जीतने का मंत्र है। इस संदर्भ में वह जनमत निर्माण के सभी संभव साधनों का प्रयोग कर सकता है। गांधी जी की रणनीति का यह पक्ष ही सत्याग्रह को लोकप्रिय आकर्षण का केन्द्र बना सका। उसकी दार्शनिकता और रणनीति ने आम जनता को रोशनी दी और उन्हें राष्ट्रीय मुद्रों पर मूकदर्शक रहने की जगह चेतनशील बनाया।

सत्याग्रह की अवधारणा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जिसमें वैश्विकरण और उदारीकरण की नीतियों ने विश्वभर के देशों में हलचल मचा रखी है। आज विश्व किस दिशा में जा रहा है कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। आज आतंकवाद, परमाणु अस्त्र-शस्त्र, मादक पदार्थों की तस्करी अमीरों गरीबों के बीच की खाई का बढ़ना, सीमा विवाद आदि मामले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों को प्रभावित कर रहे हैं। जिससे तृतीय विश्व युद्ध की सम्भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो गांधी जी का सत्याग्रह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कारगर साबित हो सकता है क्योंकि गांधी जी एक ऐसे विश्व की कल्पना करते थे जो सत्याग्रह सत्य व अहिंसा पर आधारित हो जैसाकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र

संघ ने 2 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। इस पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सही ही कहा था कि 'पूर्व से पहले ही पश्चिम के लोग गांधी जी की विचारधारा को अपनाएंगे क्योंकि ये लोग शक्ति पर आश्रित भौतिक समृद्धि के दुष्क्र से गुजर चुके हैं और उनका भ्रम दूर हो चुका है उनमें अब आत्म तत्व की जिज्ञासा है और वे उसी की उपलब्धि चाहते हैं। पूर्व अभी भौतिकवाद के दुष्क्र से नहीं गुजरा है और इसलिए उनका भ्रम भी अभी दूर नहीं हुआ है' आज विश्व की सबसे प्राचीन पारिवारिक उत्पादन की परम्परा को केन्द्रिय और बड़े पैमाने की उत्पादन की प्रणाली ने हिलाकर रख दिया है इससे उत्पन्न पर्यावरण संकट ने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। हमारे देश में भी उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप आम आदमी के सम्मुख आमदनी, रोजगार और पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया है। इससे कई राज्यों में असंतोष, आक्रोश और अलगाव के स्वर उठने लगे हैं इस तरह की सामाजिक असहमतियों को पक्ष और विपक्ष की राजनीति कह देना समस्या का सरलीकरण है।

आज उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की चूलें हिलाकर रख दी है इसीलिए गांधी जी के सत्य के प्रयोग का एक और अक्सर हमारे साथ चलने को तैयार है हमें यह भी याद रखना होगा कि गांधी मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ जोड़ना नहीं है, वरन् अपना बहुत कुछ छोड़ना है अपने आपको हल्का करना है।

अर्थात् हम कह सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का सिद्धान्त परिवार से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक भी प्रासंगिक है। गांधी जी के इस

विचार को व्यक्ति एवं सम्पूर्ण विश्व भली भांति समझ चुका है कि आज शांति व विकास वैश्वीकरण की राह पर चलने के लिए सभी प्रस्ताव पारित करके महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धान्तों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है तथा लगभग सभी देशों में गांधी जी की प्रतिभाएं अनावरित की गई हैं।

निष्कर्ष

सत्याग्रह का अभिप्राय सामाजिक एवं राजनैतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्य और अहिंसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग था यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था जो व्यक्तिगत अथवा सामुहिक रूप से कष्ट सहन कर विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम है गांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका में किया इसके द्वारा जनरल स्मॉट्स को प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन का औचित्य स्वीकार करना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

शंकर दयाल सिंह, महात्मा गांधी सत्य से सत्याग्रह तक

पृ.स. 8, 16

आर.के. प्रभु यू. आर. राव, महात्मा गांधी के विचार पृ.स. 154-174

के.एस. सक्सेना, गीता अग्रवाल 'गांधी धर्म' एवं लोकतंत्र पृ.स. 124-150

ओम प्रकाश गाढ़ा, राजनीति विचारक विश्वकोश पृ.स. 96
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन

एवं संवेधानिक विकास

जय प्रकाश नारायण, हिंसा के मार्ग की निरर्थकता (लेख)

सर्वोदय स्मारिका